प्रेषक,

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
रिंग रोड, देहरादून।

पत्रांकः–2562/भण्डार–प्रचार–प्रसार निविदा–पत्रा0/2017–18 देहरादूनः दिनांक 27/03/18

विषय– प्रिंटिंग एवं प्रचार–प्रसार आपूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय हेतु प्रिंटिंग एवं प्रचार–प्रसार आपूर्ति हेतु करने के लिए निविदा विज्ञप्ति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । कृपया निविदा विज्ञप्ति को न्यूनतम पठनीय साईज 70 वर्ग सेमी0 साईज में (Black & White) दो प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला,देहरादून एवं दैनिक हिन्दुस्तान,देहरादून संस्करण में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। तथा बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु 2 प्रतियों में कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तानुसार विज्ञप्ति।

भवदीय

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

पत्रांकः– /भण्डार–वाहन–विज्ञप्ति /2017–18 देहरादूनः दिनांक

प्रतिलिपि–

1– दैनिक अमर उजाला देहरादून / दैनिक हिन्दुस्तान,देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

2– श्री सुवर्ण सेनवाल कृषि निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार नियम एवं शर्तो को वेबसाईट www.agriculture.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

विज्ञप्ति–

कृषि निदेशालय, नन्दा की चौकी प्रेमनगर देहरादून उत्तराखण्ड

प्रिंटिंग एंव प्रचार–प्रचार सामग्री आपूर्ति के सम्बन्ध में फर्मो का पंजीकरण ।

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नंदा की चौकी प्रेमनगर देहरादून में समय–समय पर विभिन्न प्रकार की प्रिटिंग सामग्री/प्रचार प्रसार सामग्री यथा बुक,फोल्डर पम्पलेट,फ्लैक्सी बैनर/बोर्ड आदि सामग्री आपूर्ति हेतु फर्मो का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण प्रपत्र प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्यालय कैशियर से रू0 500.00मात्र जमा कर दिनांक 21.04.2018 तक प्राप्त किये जा सकते है। अथवा निदेशालय की Website www.agriculture.uk.gov.in से भी Download कर मु0 500.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट पंजीकरण प्रपत्र के साथ जमा किये जा सकते है। पंजीकरण हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र 28.04.2018 को अपरान्ह 5.00 बजे तक कृषि निदेशालय के भण्डार कक्ष में जमा किये जायेगें। आवेदक द्वारा स्वंय पत्रवाहक के माध्यम से डाक अथवा कोरियर द्वारा भेजा जा सकता है । डाक द्वारा भेजे गये पंजीकरण प्रपत्र 28.04.2018 के पश्चात प्राप्त होने की दशा में उन पर विचार नही किया जायेगा । पंजीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र पर दिया गया है। किसी भी विवाद हेतु न्याय का क्षेत्र देहरादून होगा। अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ह0/
कृषि निदेशक उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

प्रपत्र मूल्य रू0– 500.00

प्रिटिंग एवं प्रचार–प्रसार सामग्री यथा (बुक,फोल्डर,पम्पलेट,पोस्टर फ्लैक्स आदि के प्रिटिंग एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में फर्मो के पंजीकरण हेतु)

नियम एवं शर्ते

1. इच्छुक आवेदक/फर्म पंजीकरण हेतु प्रपत्र फार्म दिनांक 21.04.2018 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक निदेशालय के कैशियर से रू0 500.00 जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. पंजीकरण फार्म wwwagiculture.uk.gov.in से भी नियमानुसार DOWNLOD किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र तकनीकी निविदा भाग–1 के साथ रू0 500.00 का बैंक ड्राफ्ट जो कि कृषि निदेशक उत्तराखण्ड के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो संलग्न किया जाये।
3. पंजीकरण हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र दिनांक 28.04.2018 अपरान्ह को 5.00 बजे तक कृषि निदेशालय के भण्डार कक्ष में जमा किये जा सकते है। डाक द्वारा भेजे गये पंजीकरण प्रपत्र दिनांक 28.04.2018 के पश्चात् प्राप्त होने की दशा में उन पर विचार नही किया जायेगा ।
4. आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वंय, पत्र वाहक के माध्यम से डाक द्वारा अथवा कोरियर द्वारा भेजा जा सकता है । पंजीकरण हेतु प्राप्त सभी आवेदन दिनांक 01.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे निदेशालय में खोले जायेगें।
5. आवेदक द्वारा पंजीकरण प्रपत्र के साथ रू0 10000.00(रू0दस हजार मात्र)मूल्य की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। धरोहर धनराशि बैक ड्राप्ट अथवा एफ0डी0आर0,जो कि कृषि निदेशक उत्तराखण्ड देहरादून के पद नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैक से क्रय किया गया हो,बनाया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा,अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा ।
6. अपूर्ण एवं संशर्त आवेदन मान्य नही होगा।
7. फर्म को उत्तराखण्ड व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण की सुस्पष्ट छायाप्रति आवेदन प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये, अन्यथा आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।
8. फर्म को आयकर विभाग मे पंजीकृत होना अनिवार्य है। पैन नम्बर की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायें।
9. आवेदक के पास उद्योग विभाग द्वारा निर्गत ई0एम0 II अथवा लघु उद्योग में स्थायी पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीकरण की छायाप्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न की जायें।
10. आवेदन के साथ फर्म के पास उपलब्ध उच्च क्वालिटी मल्टीकलर ऑफसेट प्रिटिंग मशीन (फोर कलर) लगे होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । जिसके लिए फर्म द्वारा मशीन क्रय बिल की छाया प्रति अथवा स्टालेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
11. आवेदन प्रपत्र के साथ फर्म की 03 बर्ष की आडिटल बैलेंस शीट जिसमें न्यूनतम टर्न ओवर प्रतिबर्ष रू0 20.00 लाख हो संलग्न किया जाना आवश्यक है । (वर्ष 2014–15 से 16–17तक)
12. आवेदन प्रपत्र के साथ प्रिटिंग सामग्री का नामूना संलग्न करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं अनुभव सम्बन्धी अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न किये जाये ।

13. यदि आवेदन प्रपत्र के साथ मॉगी गयी शर्तें/प्रमाण पत्र पूर्ण नही पाये गये तो सम्बन्धित के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र मोहर बन्द लिफाफे में सील बंद कर लिफाफे के उपर (प्रिंटिंग /फ्लैक्स वैनर-बोंड) प्रचार-प्रसार सामग्री पंजीकरण लिखा जायें।

14. किसी भी विवाद हेतु न्याय का क्षेत्र देहरादून होगा।

15. यह पंजीकरण तीन वर्षों के लिये मान्य होगा।

16. विभाग को जब भी प्रिंटिग सामग्री अथवा प्रचार-प्रसार सामग्री की आवश्यकता होने पर पंजीकृत फर्मों से पंजीकृत डाक द्वारा तत्समय दरें प्राप्त की जायेंगी।

17. जिस फर्म की दर कार्य के लिये स्वीकृत होगी उसे कार्य आदेश प्राप्ति के 10 (दस) दिन के भीतर कार्य पूर्ण करना होगा तथा सामग्री को कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून कार्यालय तक स्वंय के व्यय पहुचाने का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। यदि सामग्री नियत अवधि में उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

18. आपूर्ति आदेश के सापेक्ष फर्म को कार्यदेश के मूल्य की धनराशि जमानत के रूप में 10 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के पदनाम से बन्धक किया गया हो, जमा करना होगा।

19. मुद्रण के बाद आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच/परीक्षण निदेशालय स्तर पर किया जायेगा। सामग्री की आपूर्ति आदेश के अनुरूप होने पर ही भुगतान किया जायेगा। यदि आपूर्तित सामग्री में निविदा को स्वंय उठाकर वापस ले जाना होगा। त्रुटिपूर्ण आपूर्ति पर हुये सम्पूर्ण व्यय भार का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। विभाग इस के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

20. भुगतान बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा। सामग्री की मात्रा बजट की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटायी/बंढ़ायी जा सकती है।

21. अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा समस्त आवेदन तथा आपूर्ति के संबंध में कोड की गयी दरें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

7. क्या पंजीकृत फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है।

"हां" और "नहीं" में उल्लेख किया जाय।

8. क्या फर्म के विरूद्ध कार्य सम्बन्धी कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/ लम्बित है, अथवा निष्पादित हुई है यदि हां तो पूर्ण विवरण दिया जाय।

9. क्या पंजीकृत फर्म के विरूद्ध कभी कोई आपराधिक कार्यवाही चली हैं यदि हां तो पूर्ण विवरण दिया जाय।

10. राजकीय विभागों में आपूर्ति करने का अनुभव –

(प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

(क्रमांक–8,9 व 10 के सम्बन्ध में रू0 50.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाय)

11. तकनीकी निविदा के साथ विक्रय हेतु फर्म को अधिकृत प्रमाण पत्र ।

(प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

पंजीकरण प्रपत्र के सीलबन्द लिफाफों पर दाहिनी ओर स्केच पेन से " साहित्य,फोल्डर,पम्पलेट,बुक फ्लैक्स बोर्ड/बैनर हेतु पंजीकरण " अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

निर्धारित निविदा शर्तो पर सहमति

मेरे द्वारा पंजीकरण निविदा की सभी शर्ते भली–भाँति पढ़ ली गयीं है तथा मैं उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 21 तक उल्लेखित उन सभी शर्तो से, पूर्णतया: सहमत हूँ।

फर्म/ निविदादाता एवं नाम के हस्ताक्षर....................................

पूर्ण पता..

....

फोन नम्बर..

फैक्स नम्बर..

सील..